न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री एल.एन मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

अपील एल.आर. संख्या 48/2017/(2017/00126) जिला–नागौर

पूनमदास पुत्र श्री तुलसीदास, जाति साध, निवासी ग्राम कलरूप, तहसील मेड़ता जिला नागौर।

–––अपीलार्थी

बनाम

1. पटवारी हलका, कलरूप, तहसील मेड़ता जिला नागौर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मेड़ता जिला नागौर।

––––प्रत्यर्थीगण

–––

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956,
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता दिनांक 07–06–2017
अन्तर्गत प्रकरण संख्या 128/2017
बउनवान पूनमदास बनाम राज0 सरकार

––––

उपस्थित– 1. श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक अपीलांट
2. श्री बी.एस.शेखावत अभिभाषकगण प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः– 28.08.2019

अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अपीलार्थी की भूमि जमबंदी सम्वत 2055 से 2058 से नई जमाबंदी बनाते समय नए खसरा नम्बर 947, 948, 949 जिनका रकबा 0.33 हैक्टर जो पुराने रकबे 2 बीघा के बराबर होता है, को नई जमाबंदी में अन्य सहखातेदारों के साथ अंकित कर दिया जिसका शुद्धिकरण कर जमाबंदी में से सहखातेदारों से अपना नाम अलग करने हेतु निवेदन किया गया जिसे उपखण्ड अधिकारी ने पटवारी हलका, गिरदावर व तहसीलदार द्वारा आदेशिका पर की गई रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किये गये तथा संबंधित अभिलेख मंगवाया गया। दोनो पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान मुख्य–मुख्य तर्क दिये कि अपीलार्थी पूनमदास पुत्र श्री तुलसीदास जाति साध निवासी कलरूप के खाता संख्या 231 में जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 937 के द्वारा खसरा नम्बर 658/1 रकबा 2 बीघा जो पुराने खसरा नम्बर की खातेदारी थी जिसके नए नम्बर 947, 948, 949 कुल किता 3 कुल रकबा 0.33 हैक्टर भूमि जो अपीलार्थी की खातेदारी की है, परन्तु सेटलमेंट विभाग द्वारा सहवन से उक्त भूमि को शामलात खाते में दर्ज कर दी गई है जो मिलान क्षैत्रफल में 658 मिन के खसरा नम्बर 947 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 658 मिन के नए नम्बर 948 रकबा 0.08 हैक्टर व खसरा नम्बर 658 मिन के नए खसरा नम्बर 649 रकबा 0.28 हैक्टर में से 0.24 हैक्टर कुल रकबा 0.33 हैक्टर भूमि सेटलमेंट विभाग द्वारा जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 से नई जमाबंदी बनाते समय नए खसरा नम्बर 947, 948, 949 जिनका रकबा 0.33 हैक्टर जो पुराने रकबे 2 बीघा के बराबर होता है को नवीन जमाबंदी में अन्य सहखातेदारान के साथ अंकित कर दिया है। जिसे अपीलाथ्री द्वारा जमाबंदी सम्वत 2055 से 2058 के खाता संख्या 231 के आधार पर नवीन जमाबंदी में से अन्य सहखातेदारों से अपना नाम अलग गरवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त कर कानूनी भूल की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्वत् 2055 से 2071 के खाता संख्या 573 नक्शा ट्रेस नया व पुराना प्रस्तुत किया था। जिनसे अपीलार्थी का प्रकरण बखूबी साबित था। चूंकि अपीलार्थी का मुख्य रूप से कथन यही था कि सम्वत 2055 से 2058 की जमाबंदी में खसरा नम्बर 658 में अन्य किसी सहखातेदार का नाम दर्ज नहीं है। ऐसी स्थिति में सेटलमेंट को कोई अधिकार नहीं था कि पुरानी जमाबंदी व पुराने खसरा नम्बर से नए खसरा नम्बर कायम करते समय अपीलार्थी की आराजी को अन्य सहखातेदारान के साथ दर्ज करे, परन्तु उक्त त्रुटि लिपिकीय त्रुटि होने से उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 के अन्तर्गत सुधार योग्य थी, किन्तु अधिनस्थ न्यायलय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–6–2017 द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर गम्भीर वैधानिक त्रुटि कारित की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 947, 948, 949 के पुराने नम्बर 658 सहित पुराने खसरा नम्बर 531 व 656 अपीलार्थी के पिता तुलसीदास पुत्र भागीरथदास की खातेदारी जमाबंदी सम्वत 2038 से 2041 के अनुसार रही है। तत्पश्चात सम्वत 2055 से 2058 की जमाबंदी में भी उक्त तीनों खसरा नम्बर भंवरदास, पूनमदास, मोहनदास पिता तुलसीदास की खातेदारी में रही है। उसी जमाबंदी में नामान्तरकरण संख्या 937 के द्वारा उक्त सम्पूर्ण भूमि का तीनों भाईयों में नामान्तरकरण संख्या 937 के द्वारा अलग–अलग रकबा दर्ज किया जा चुका है जिस अनुसार अपीलार्थी के हक में नामान्तरकरण

संख्या 937 के द्वारा खसरा नम्बर 531/1 रकबा 16 बिस्वा व खसरा नम्बर 658 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 2 बीघा 16 बिस्वा दर्ज हो चुकी है। ऐसी स्थिति में दौराने सेटलमेंट जब खसरा नम्बर 658/1 के नवीन नम्बर 947, 948, 949 कायम किये गये तो उसे अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज नहीं किया जा सकता था। परन्तु सेटलमेंट विभाग ने गलती से तीनों खसरा नम्बर 947, 948, 949 जिनका रकबा 0.33 हैक्टर ुराने खसरा नम्बर 658/1 रकबा 2 बीघा के बराबर होता है अन्य सहखातेदारों के साथ दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्त करवाने हेतु अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसमें अन्य सहखातेदारों को पक्षकार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि अपीलार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किसी सहखतेदार के विरूद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहा गया था। साथ ही यदि अपीलार्थी द्वारा चाहे गये अनुतोष के आधार पर यदि उसे अनुतोष प्रदान भी कर दिया जाता तो उससे अन्य किसी सहखातेदार के हक व अधिकार पर प्रभाव नहीं पड़ता था। परन्मतु अधिनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र खारिज कर कानूनी भूल की है।

उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अपीलार्थी के पिता विवादग्रस्त आराजियात के अलावा अन्य खसरा नम्बर की खातेदारी की आराजियात को लेकर अपीलार्थी व उसके भाईयों के मध्य वर्ष 2002 में एक बंटवारे का वाद भी चला था जिसमें अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा दिनांक 31–10–2005 के द्वारा उक्त वाद डिक्री किया जाकर खसरा नम्बर 658 की 2 बीघा भूमि की डिक्री अपीलांट के पक्ष में पारित की गई है। ऐसी स्थिति में जब खसरा नम्बर 658/1 जिसमें अपीलांट के नाम 2 बीघा भूमि दर्ज की गई तो सेटलमेंट के दौरान नवीन खसरा नम्बर बनाते समय उक्त खाता पृथक ही रहना चाहिए था परन्तु सहवन से नवीन जमाबंदी में अपीलांट का नाम अन्य दूसरे सहखातेदारों के साथ दर्ज कर दिया गया। जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार नहीं था।

उन्होंने यह भी कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने इस बात पर भी गौर नहीं किया कि दिनांक 7–6–2017 को उक्त प्रकरण राजस्व लोक अदालत केम्प में नियत था। लोक अदालत के नियमों के तहत उन्हीं प्रकरणों में निर्णय दिया जा सकता है जिनमें पक्षकार पूर्णरूप से सहमत हो, उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी ना ही कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया था बल्कि उसी दिन आदेशिका पर पटवारी व गिरदावर व तहसीलदार की रिपोर्ट अंकित की गई जिसको पढ़ने मात्र से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण कन्टेस्टिंग प्रकरण था ऐसी स्थिति में लोक अदालत की भावना के विपरीत जाकर मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट को आधार बनाकर प्रकरण का निस्तारण नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने में कानूनी भूल की है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 7–6–2017 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपीलार्थी अभिभाषक की उक्त बहस के जवाब में प्रत्यर्थीगण के राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि विवादग्रस्त संयुक्त खातेदारी की आराजियात है। अपीलार्थी विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 947, 948 व 949 को शामलाती से अपने नाम अलग से करवाना चाहता है। तहसीलदार, मेड़ता की रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी ने अपने सहखातेदार को पक्षकार नहीं बनाने के कारण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 खारिज किया गया था। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मेड़ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–6–2017 विधिसम्मत है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

जवाबुल जवाब में अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि लोक अदालत के नियमों के तहत उन्हीं प्रकरणों में निर्णय दिया जा सकता है जिसमें पक्षकार पूर्णरूप से सहमत हो। उक्त प्रकरण में किसी प्रकार की कोई सहमति नहीं थी ना ही कोई राजीनामा प्रस्तुत किया गया था बल्कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उसी दिन आदेशिका पर पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर आदेश पारित कर दिया जो विधिविरूद्ध होने से निरस्त योग्य है।

मैंने दोनों पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की सुनी बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया तथा संबंधित अभिलेख का अवलोकन व अध्ययन किया जिसके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि विवादग्रस्त आराजियात तुलसीदास पुत्र भागीरथदास की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिनका तुलसीदास के तीन पुत्र क्रमशः भंवरदास, पूनमदास, मोहनदास पिता तुलसीदास में बंटवारा हो चुका है। सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा अपीलार्थी की आराजियात खसरा नम्बर 947, 948 व 949 को अन्य सहखातेदार के साथ दर्ज कर दिया गया। उक्त शामलाती भूमि में से अपीलार्थी द्वारा उक्त खसरा नम्बरान को अपने नाम करवाने हेतु धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने पटवारी, गिरदावर व तहसीलदार, मेड़ता की रिपोर्ट जिसमें अंकित किया कि विवादग्रस्त आराजियात संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसमें सहखातेदारों को प्रतिवादी नहीं बनाया गया है जबकि संयुक्त खातेदारों को भी प्रतिवादी बनाया जाना आवश्यक है। यहां यह उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी की खातेदारी का रकबा भू–प्रबन्ध विभाग की एन्ट्री से पूर्व क्या था तथा बाद में क्या अंकन किया गया इसकी राजस्व अभिलेख से पूर्ण जांच तहसीलदार द्वारा करवाई जानी अपेक्षित है। अपीलार्थी द्वारा उक्त इन्द्राज दुरूस्ती धारा 136 राज0 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत करवाने हेतु प्रार्थना पत्र अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी,) मेड़ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया जबकि उक्त धारा 136 के अन्तर्गत एक सीमित क्षैत्राधिकार सक्षम अधिकारी को दिये गये है जिसके अन्तर्गत राजस्व रेकार्ड में हुई लिपीकीय त्रुटि जो कि दोनों पक्ष की सहमति से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दुरूस्त करवाई जा सकती है जबकि वर्तमान में प्रकरण में दूसरा पक्ष उपस्थित नहीं है। अपीलार्थी को सहखातेदारों को भी प्रकरण में पक्षकार बनाया जाना चाहिए ताकि बाद में कोई विवाद उत्पन्न न हो। अतः मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अपीलार्थी को उक्त स्थिति में राजस्व रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर वांछित लाभ प्राप्त करना अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में अधिनस्थ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं तथ्यहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय (उपखण्ड अधिकारी) मेड़ता द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 07–06–2017 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 128/2017 पूनमदास बनाम राजस्थान सरकार विधिसम्मत होने से यथावत रखा जाता है।

(लक्ष्मी नारायण मीणा)
संभागीय आयुक्त,
अजमेर